

Appearing on Page Nos. 2006—2010

Dated 5-3-2005

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 715.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पाद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 में नियम 8, के उपनियम 8.4 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8.4 अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/1/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 2720 तारीख 16 दिसम्बर, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 3719 तारीख 30 नवम्बर, 2002 और का.आ. 999(अ) तारीख 13 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 715.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, in rule 8, for sub-rule 8.4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"8.4 The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

[F.No. 6/1/2000-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 2720 dated the 16th December, 2000 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3719 dated the 30th November, 2002 and S.O. 999(E) dated the 13th September, 2004.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 716.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 में नियम 8,—(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

(ii) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 6/2/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 68(अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 716.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, in rule 8,—

(i) for clause (d) the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

T-1 (Dated 25.2.2005)

(ii) clause (e) shall be omitted.

[F.No. 6/2/2000-EI & EP]
RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 68(E) dated the 23rd January, 2003.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 717.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 में नियम 17 के उपनियम 17.4 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"17.4 अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/2/2001-ईआई एण्ड ईपी]
राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 730(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 415(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2002, का.आ. 1029(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2002 और का.आ. 1034(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 717.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1995, in rule 17, for sub-rule 17.4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"17.4 The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

[F.No. 6/2/2001-EI & EP]
RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 730(E) dated the 21st August, 1995 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 415(E) dated the 11th April, 2002, S.O. 1029(E) dated the 24th September, 2002 and S.O. 1034(E) dated the 9th September, 2003.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 718.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बायवाल्व मोलस्कस के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायवाल्व/मोलस्कस के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बायवाल्व मोलस्कस के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2003 में नियम 10 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/3/2002-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 668(अ) तारीख 10 जून, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 718.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Bivalve Molluscs (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Bivalve Molluscs (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Bivalve Molluscs (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2003, in rule 10, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

[F.No. 6/3/2002-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 668(E) dated the 10th June, 2003:

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 719.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजा मुर्गी मांस और मुर्गी मांस

उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजा मुर्गी मांस और मुर्गी मांस उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ताजा मुर्गी मांस और मुर्गी मांस उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 में नियम 8, के उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(6) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।”

[फा. सं. 6/2/98-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 1378(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 719.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh Poultry Meat and Poultry Meat Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, in rule 8, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(6) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.”

[F.No. 6/2/98-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification number S.O. 1378(E), dated the 30th December, 2002.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 720.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूखी मछली के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूखी मछली के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूखी मछली के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 में नियम 9 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

“(4) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।”

[फा० सं० 6/5/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० का०आ० 1376(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं० का० आ० 233 तारीख 31 जनवरी, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 720.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Dried Fish (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, in rule 9, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(4) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.”

[F.No. 6/5/2000-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S. O. 1376(E), dated the 30th December, 2002 and subsequently amended vide notification number S. O. 233, dated the 31st January, 2004.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का. आ. 721.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडा उत्पाद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 में नियम 8 के उपनियम 8.6 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

“8.6 अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।”

[फा० सं० 6/1/95-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० का०आ० 2078, तारीख 23 अगस्त, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं० का० आ० 1443(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 721.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, in rule 8, for sub-rule 8.6, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“8.6 The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.”

[F. No. 6/1/95-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number S. O. 2078, dated the 23rd August, 1997 and subsequently amended vide notification number S. O. 1443(E), dated the 19th December, 2003.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

क्र.आ. 722.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूखी मछली माक्स के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूखी मछली माक्स के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूखी मछली माक्स के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2002 में नियम 9,—

(क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात्:—

“(4) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।”

(ख) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 6/6/2000/ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० का०आ० 2877, तारीख 14 सितम्बर, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 722.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Dried Fish Maws (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Dried Fish Maws (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2005.

MGIPRRND—664 C&I/05—300.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Dried Fish Maws (Quality Control and Inspection) Rules, 2002, in rule 9,—

(a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.”

(b) sub-rule (5) shall be omitted.

[F. No. 6/6/2000-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number S. O. 2877, dated the 14th September, 2002.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

क्र.आ. 723.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काजू की गिरियों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काजू की गिरियों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. काजू के गिरियों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 में नियम 4, के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।”

[फा० सं० 6/(9)/83/ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० का०आ० 783, तारीख 1 मार्च, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 723.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1986, in rule 4, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.”

[F. No. 6(9)/83-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number S. O. 783, dated the 1st March, 1986.

